



जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
Directorate of Census Operations, Uttar Pradesh
Government of India Ministry of Home Affairs
(एन. पी. आर. अनुभाग)

पत्रांक: डी सी ओ-यूपी / 35- 2015 / एन.पी.आर. - 08

दिनांक: 08/01/2016

सेवा में,


जिलाधिकारी एवं जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण,
जनपद

विषय :- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के कार्य में भारत की जनगणना 2011 के दौरान बनाए गए नए गणना ब्लॉकों में एन.पी.आर. अनुसूचियों भरवाने विषयक।

महोदय,

विदित है कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने का कार्य समस्त जनपदों में दिनांक 16.12.2015 से 15.01.2016 के मध्य प्रगति पर है, ग्रामीण तथा नगरीय चार्ज में कोई भी क्षेत्र इस कार्य से छूटने न पाए। यदि कोई क्षेत्र जनगणना- 2011 के बाद आबाद हो गया हो तो उन क्षेत्रों में भी चार्ज के अन्तिम गणना ब्लॉक (EB) का नम्बर के बाद का नम्बर डालते हुए आवश्यकतानुसार गणना ब्लॉकों का गठन कर उस क्षेत्र के निवासियों की गणना नये एन.पी.आर. भरवा कर अवश्यक कर ली जाए। एन.पी.आर. अद्यतन कार्य के पूर्ण होने के बाद निर्देशानुसार प्रगणक ने समेकित सार द्वारा चार्ज का सार तथा समस्त ग्रामीण तथा नगरीय चार्जों के चार्ज सार के द्वारा जिला सार तैयार किया जाना है, इसके विस्तृत निर्देश अलग से भेजे जा रहे हैं। जनगणना-2011 के चार्जवार ग्रामीण/नगरीय जनसंख्या को अन्तिम रूप देकर जारी किया जा चुका है। एन.पी.आर. के अद्यतन का कार्य लगभग 5 वर्षों के बाद किया जा रहा है, अतः सामान्यतः जिला/तहसील/नगर की वर्तमान जनसंख्या में वर्ष-2011 की तुलना में वृद्धि परिलक्षित होनी चाहिए।


भवदीय


(प्रदीप कुमार)

संयुक्त निदेशक (नियंत्रण अधिकारी)

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग (नियोजन-3), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. श्री एस.के. चक्रवर्ती, अतिरिक्त महारजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली।
4. श्री एम.एस.थापा, अतिरिक्त निदेशक/ओआरजीआई. नोडल अधिकारी-यूपी, नई दिल्ली।
5. समस्त मण्डल/जिला प्रभारी, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश।


(मोहम्मद अहमद)
उप निदेशक

